

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०,छटा तल,जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या- एम०ई०-३/२०१७/३८७

दिनांक:०७ जून,२०१७

नीट पी०जी०-२०१७ की माप अप राउण्ड की काउंसिलिंग दिनांक-०९ एवं १० जून, २०१७ के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-८२६८ आफ २०१७, स्पेशल अपील डी० संख्या-१६८७४ आफ २०१७, जो रिट सी संख्या-१७१८३ आफ २०१७ में पारित मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक २९.५.२०१७ के क्रम में निम्नवत पारित किया गया है:-

"For the reasons recorded in the Reportable Judgment, which is placed on the file, the impugned judgment and order of the High Court and all consequential action taken by the State of U.P. and/or any other authority pursuant to that order are set aside. It is clarified that those who were counselled and granted admission prior to the impugned judgment of the High Court shall be permitted to continue in their respective courses. The time for filling up the vacant seats, if any, in AMU, BHU and Government run medical colleges/institutions in the State of U.P. is extended up to 12th June, 2017 in the peculiar facts and circumstances of the case. We further permit the AMU, BHU and Government run medical colleges/institutions in the State to fill up the seats in the post graduate courses in the AMU, BHU and Government run medical colleges/institutions up to 12.06.2017."

मा० उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों, ए०एम०यू०, अलीगढ़ तथा बी०एच०यू०, वाराणसी की रिक्त सीटों पर माप-अप राउण्ड की काउंसिलिंग निम्नवत की जायेगी :-

काउंसिलिंग स्थल	अभिलेखों का सत्यापन एवं काउंसिलिंग/आवंटन तिथि
लेक्चर थियेटर/हाल, निकट प्रशासनिक भवन, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ	राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों हेतु दिनांक-०९ जून, २०१७ अभिलेखों का सत्यापन प्रातः ०८.०० से ११.०० बजे तक आवंटन अपराह्न ०१.०० से
	ए०एम०यू०, अलीगढ़ तथा बी०एच०यू०, वाराणसी हेतु दिनांक-१० जून, २०१७ अभिलेखों का सत्यापन प्रातः ०८.०० से ११.०० बजे तक आवंटन अपराह्न ०१.०० से

- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों की रिक्त सीटों की काउंसिलिंग हेतु एन०आई०सी० की वेबसाइट पर दिनांक २८ मार्च २०१७ से ०३ अप्रैल २०१७ तक तथा दिनांक-२९ एवं ३० मई २०१७ तक पंजीकृत अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
- ए०एम०यू०, अलीगढ़ तथा बी०एच०यू०, वाराणसी हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने पूर्व में एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराया हो तथा उनका नाम सम्बन्धित संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा काउंसिलिंग से पूर्व उपलब्ध कराई जाने वाली अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित हो।
- दिनांक-०९ तथा १० जून २०१७ को प्रस्तावित काउंसिलिंग में आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया काउंसिलिंग स्थल पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग शुल्क रु० १०००/- तथा सिक्योरिटी धनराशि रु० ५०००/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० के नाम से लखनऊ में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा। **किसी भी दशा में नकद धनराशि काउंसिलिंग स्थल पर स्वीकार नहीं की जायेगी।**
- काउंसिलिंग हेतु सभी छात्रों को अपने मूल शैक्षिक अभिलेखों तथा कालेज हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- ए०एम०यू०, अलीगढ़ तथा बी०एच०यू०, वाराणसी की रिक्त सीटों की काउंसिलिंग संस्थान के बायलाज के अनुसार की जायेगी।
- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों हेतु कोई पुनरावंटन (**Reshuffling**) अनुमत्य नहीं होगा। **नीट पी०जी०-२०१७ की पूर्व की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/अप्रवेशित/त्यागपत्र दे चुके) अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।**
- राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में उपलब्ध सीटों का विवरण एवं पी०जी० काउंसिलिंग हेतु शुल्क तथा अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० की अधिकृत वेबसाइट www.updgm.in एवं <https://upneet.gov.in> पर उपलब्ध है।

महानिदेशक